न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–74/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00059)

1. रामौतार पुत्र किशन, जाति गुर्जर, निवासी मोलाहेडा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. लीलाराम पुत्र प्राणा,
2. रोशन पुत्र प्राणा,
3. रामेश्वर पुत्र प्राणा,
4. बसन्ता पुत्र प्राणा,
5. श्योराम पुत्र प्राणा,
6. कौशल्या पुत्री प्राणा,
7. कमली पुत्री प्राणा,
8. देशराज पुत्र बनवारी,
09. गोपाल पुत्र बनवारी,
10. मु0 मेवली पत्नी स्व. बनवारी,
11. गोठा पुत्री बनवारी
12. शीला पुत्री स्व. बनवारी
13. गोकुल पुत्र हीरा,
14. माडूराम पुत्र हीरा
15. रमली पुत्री हीरा,
16. ज्ञाना पुत्री हीरा
17. पांची पुत्री किशना,
18. धडी पुत्री किशना, जातियान गुर्जर, निवासीयान ग्राम मोलाहेडा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान।
19. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।
20. सरपंच ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 10.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली के आदेश दिनांक 22.03.2017 (प्रकरण संख्या 2/2012 पुनः दर्ज 10/2012) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 600 जिसके साबिक खसरा नम्बर 405 व 406 थे, के मूल खातेदार रतन थे तथा रतना के फौत होने पर साधु, गुलाब व मुकन्द हुये, साधु के मामराज, प्रभाती, धन्शी तथा गुलाब के गंगासहाय व श्योदान, जीता तथा मुकन्दा के प्रहलाद, श्योलाल व किशना हुऐ उसके बाद प्रहलाद के प्राणा, श्योलाल के हीरा व किशन के रामौतार पुत्रान हुऐ अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है तथा अपनी–अपनी हिस्से

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

की सह–खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स ने विरासत का नामान्तरकरण संख्या 806 बिना विधिवत जांच के तथा अन्य प्रभावित सह–खातेदार पक्षकारान को सुनवाई का व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही ग्राम पंचायत से दिनांक 20.10.2011 को अकेले स्वयं के नाम ही नामान्तरकरण तस्दीक करा लिया, जिसका कि उन्हे कतई कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था, इस कारण तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 806 पूर्णतया विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है जिसे यथावत कायम रखने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत को विवादित प्रकरण में नामान्तरकरण तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि वर्तमान अपीलान्ट ने एक नियमित राजस्व वाद संख्या 187/2007 उनवानी रामौतार बनाम हीरालाल वगैरहा उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली के न्यायालय में बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 22.06.2007 के पूर्व ही दायर कर दिया था तथा मूल राजस्व वाद में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हो चुकी थी किन्तु फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा महज वर्तमान रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुँचाने की उद्देश्य से नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन रहते हुये भी दावे के चार वर्षो बाद नामान्तरकरण संख्या 806 तस्दीक करने मे गंभीर क्षेत्राधिकार सम्बन्धी एवं विधिक त्रुटि की है जिसे यथावत कायम रखने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जब प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भंली भांति सिद्ध हो चुका था कि पक्षकारान के मध्य सन 2007 से ही घोषणा, बंटवारे का नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है तो उन्हे दावे के बाद की नामान्तरकरण की समरी एवं फिसकल प्रोसिडिंन्स को स्टे कर देना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त के विपरित अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अवैधानिक रूप से खारिज करने में गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विधिक प्रक्रिया तथा राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121(4) व भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 से 133 की पालना किये बिना ही आज्ञाऐ जैर अपील पारित करने मे गंभीर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अज्ञाऐं हरदो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दिनांक 22.03.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 806 वाके ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा पर ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2011 को निरस्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट अपनी अपील में धन्शी को साधू का पुत्र होना कथन कर आ रहे है जबकि नामान्तरकरण संख्या 806 वाके ग्राम खेड़ की वीरभान तहसील कोटपुतली के पर अंकित सजरा खानदान के अनुसार धन्सी पुत्र प्रभात निःसन्तान फौत अंकित है और नामान्तरकरण धनसी पुत्र प्रभात के नाम भरा हुआ था, और इसी प्रकार सजरा खानदान में रतना के वारिसान में रामौतार के नाम के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों के नाम भी अंकित है तथा उभयपक्ष के मध्य सक्षम न्यायालय में नियतिव वाद भी विचाराधीन है तो फिर ऐसी स्थिति में प्रकरण में सभी पक्षकारान का साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत प्रकरण तहसीलदार को भिजवाना चाहिये था लेकिन सरपंच द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही नामान्तरकरण संख्या 806 दिनांक 20.10.2011 तस्दीक किया है जिसे कानूनी दृष्टि से उचित नही ठहराया जा सकता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2017 पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2017 को एवं नामान्तरकरण संख्या 806 वाके ग्राम खेड की वीरभान पर सरपंच, ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2011 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कोटपुतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पक्षकारान के बयानादि लेकर एवं राजस्व रिकार्ड क जांच कर पुनः नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।